न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-06 जनपद – कानपुर देहात।		
सत्र वाद संख्या- 2373/2023		
राज्य	**बनाम**	सूरज शुक्ला आदि

नाम साक्षीः रमन त्रिपाठी पुत्र इन्द्र कुमार त्रिपाठी	अपराध संख्या-90/2023
उम्रः लगभग 23 वर्ष, पेशाः छात्र	धारा- 302, 201, 120B भादवि
पता साक्षीः ग्राम थनवापुर, थाना-बरौर, जनपद-कानपुर देहात	थाना-सिकन्दरा, कानपुर देहात।

दिनांकः-17.04.2026

मैं **साक्षीः रमन त्रिपाठी पुत्र इन्द्र कुमार त्रिपाठी, उम्रः लगभग 23 वर्ष, पेशाः छात्र, पता साक्षीः ग्राम थनवापुर, थाना-बरौर, जनपद-कानपुर देहात** शपथपूर्वक यह बयान करता हूँ कि..............

1. हम तीन भाई थे। मेरा सबसे बड़ा भाई हरिओम त्रिपाठी, फिर नितेश त्रिपाठी और सबसे छोटा मैं हूँ। मैं पढ़ाई करता हूँ। हरिओम प्राइवेट नौकरी करते हैं। नितेश एयरफोर्स में करते थे। वर्ष 2015-16 में नितेश एयरफोर्स में भर्ती हुए थे। घटना के समय नितेश की तैनाती असम स्थित जोरहाट में थी। हम सभी भाई माता-पिता के साथ गाँव में ही रहते हैं।

2. दिनांक 22.06.2023 को मेरे भाई हरिओम की शादी थी। दिनांक 03.06.2023 को तिलक का कार्यक्रम था। उसी में शामिल होने के लिए नितेश दिनांक 27 या 28 मई 2023 को अवकाश लेकर घर आया था। नितेश जब छुट्टी से घर आया तब वह घर पर ही रहा। दिनांक 03.06.2023 को हरिओम का तिलक का कार्यक्रम हो गया था। तिलक के बाद नितेश घर पर ही रहा।

3. दिनांक 05 या 06 जून 2023 को नितेश, अनुज के दोस्त की गाड़ी लेकर अपने दोस्त छोटू त्रिपाठी, अनूप त्रिपाठी, वंशी त्रिपाठी, रिशू त्रिपाठी के साथ काशी विश्वनाथ दर्शन करने गया था। वहाँ से दिनांक 07 या 08 जून 2023 को नितेश वापस आ गया था। उसके बाद वह घर पर ही रहा।

4. दिनांक 11.06.2023 की शाम पाँच बजे नितेश, मम्मी से यह बताकर घर से निकले थे कि मैं अनुज यादव के काम से अनुज यादव के साथ इटावा जा रहा हूँ और रात

तक मैं वापस आ जाऊंगा। उस समय मैं घर पर था। इतना कहकर नितेश चले गए थे।

5. उसी रात लगभग साढ़े नौ बजे मैं पानी की टंकी का सामान लेने अकबरपुर जा रहा था। मैं जैसे ही सेंगुर नदी के पास पहुँचा तो मैंने देखा कि काले रंग की एक एक्सयूवी 300 गाड़ी खड़ी है जिसका गाड़ी नम्बर UP77AJ1526 है। मुझे शक हुआ कि ये गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी है। गाड़ी के अंदर अनुज यादव, सूरज शुक्ला बैठे थे। इसके बाद मैं अकबरपुर चला गया। मैं सामान लेकर रात्रि लगभग साढ़े दस बजे के बाद घर वापस आ गया था। घर पहुँचकर मैंने जानकारी की तो पता चला कि अभी तक नितेश वापस नहीं आया है। मेरी माँ ने नितेश को फोन किया तो नितेश का फोन स्विच आफ आ रहा था। हमलोगों ने सोचा कि नितेश के मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी। इसके बाद हमलोग लेट गए।

6. अगले दिन दिनांक 12.06.2023 को समय सुबह लगभग दस बजे मेरे गाँव के भूतपूर्व प्रधान मुनेश त्रिपाठी ने मेरे पापा को फोन कर बताया कि नितेश त्रिपाठी की लाश खोजाफूल प्रीतमपुर के पास कैनाल रोड़ पर पड़ी है। इस सूचना पर हमलोग पूरे परिवार सहित वहाँ पर पहुँचे और देखा कि नितेश के चेहरे, सिर, पीठ, गर्दन के पास, गुप्तांग में चोटें थीं और कान से खून बह रहा था। नितेश के शव को देखने पर ऐसा लग रहा था कि उसकी किसी ने हत्या की है।

7. घटना की सूचना पुलिस को दी गई थी। पुलिस मौके पर आई थी। पुलिस ने शव को सीलसर्वमुहर कर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था।

8. मेरे भाई नितेश का रुपया प्रदीप व अनुज यादव लिए थे। नितेश, अनुज यादव व प्रदीप से रुपया मांगते थे लेकिन ये दोनों नितेश को उसका रुपया नहीं देते थे। नितेश ने मेरे सामने भी एक-दो बार अनुज व प्रदीप से रुपयों की मांग की थी। इसीलिए मुझे यकीन है कि रुपयों के चक्कर में अनुज यादव व प्रदीप ने मेरे भाई नितेश की हत्या करा दी है। प्रदीप यादव ने मेरे भाई नितेश के साथ पार्टनरशिप में एक डंपर खरीदा था। डंपर खरीदने में नितेश त्रिपाठी का पैसा लगा था। डंपर प्रदीप यादव के नाम नितेश ने कराया था। प्रदीप यादव ने लगभग दो-ढाई साल बाद डंपर बेच दिया था। डंपर बेचने का रुपये प्रदीप यादव ने अपने पास रख लिया था। नितेश ने प्रदीप से डंपर का रुपया मांगा था लेकिन प्रदीप ने नहीं दिया था। इस बात को लेकर नितेश व मेरे पापा, प्रदीप यादव के घर पैसा मांगने गए थे। वहाँ पर प्रदीप ने रुपयों की लिखापढ़ी की थी और रुपया बाद में देने की बात कही थी। इसके बाद भी प्रदीप ने रुपये नहीं दिए। इस लिखापढ़ी के लगभग एक साल बाद नितेश की हत्या हो गई। नितेश का रुपया अर्चना अवस्थी भी लिए थी। अर्चना अवस्थी ने भी नितेश को रुपया नहीं दिया था। अर्चना अवस्थी के पास नितेश का लगभग चौदह-पन्द्रह लाख रुपया बकाया था। मेरे गाँव का सूरज शुक्ला अर्चना

अवस्थी से प्रेम विवाह करना चाहता था। अर्चना अवसथी, सूरज शुक्ला से शादी नहीं करना चाहती थी इसलिए सूरज शुक्ला ने अर्चना अवसथी को यह बताया था कि नितेश अपनी रिश्तेदारी में किसी लड़की से शादी करना चाहता है जिससे अर्चना अवस्थी नाराज हो गई थी। इसीलिए सूरज शुक्ला, प्रदीप, अनुज, राजकुमार त्रिपाठी, अवधेश त्रिपाठी, अर्चना अवस्थी ने मिलकर नितेश की हत्या कर दी या करवा दी। मेरे चाचा राजकुमार व अवधेश त्रिपाठी को मेरे बाबा ने पक्का मकान गाँव में दे दिया था। मेरे पिता जी को गाँव में कच्चा मकान व एक प्लाट दिया था। कुछ सालों बाद प्लाट के पास हाइवे निकल गया जिससे प्लाट की कीमत बढ़ गई। इस बात को लेकर भी राजकुमार व अवधेश मेरे पिता से रंजिश मानने लगे थे। मेरे बाबा अध्यापक थे। उनको जो पेंशन मिलती थी वो मेरे पिता जी को देते थे इस बात को लेकर भी उक्त दोनों रंजिश मानते थे। राजकुमार ने वर्ष 2020 में प्रधानी का चुनाव लड़ा और वे हार गए। इस बात को लेकर भी राजकुमार मेरे पिता से रंजिश मानने लगे। इन सभी बातों को लेकर राजकुमार त्रिपाठी, अवधेश त्रिपाठी, सूरज शुक्ला, प्रदीप यादव, अर्चना अवस्थी व अनुज यादव ने षडयंत्र करके नितेश की हत्या कर दी।

9. नितेश के मोबाइल नम्बर की सीडीआर पुलिस ने निकाली थी जिसमें अर्चना अवस्थी व नितेश की आपस में लगभग आठ-दस बार बातचीत होना पाया गया था। उसी दिन की सुबह अनुज यादव का फोन भी नितेश के फोन पर आया था। अर्चना अवस्थी को पुलिस ने थाने पर बुलाया था और पूछताछ की थी तब अर्चना अवस्थी ने यह कबूल किया था कि नितेश की हत्या में राजकुमार त्रिपाठी, अवधेश त्रिपाठी, सूरज शुक्ला, प्रदीप यादव व अनुज यादव ने षडयंत्रपूर्वक नितेश की हत्या कर दी।

10. पुलिस ने मुझसे पूछताछ की थी। मैंने पुलिस को सारी बात बता दी थी।

प्रतिपरीक्षा

साक्षी की तबियत सही न होने के कारण प्रतिपरीक्षा स्थगित।

मेरे बोलने पर आज यह बयान
रीडर/लिपिक द्वारा टंकित किया गया। सुनकर तस्दीक किया।